

प्रवेशार्थि
फोटो

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गैर सेवारत प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉर्ड का प्रारूप

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)
मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉर्ड का प्रारूप

- 1 - मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी
होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2021 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
(1) यह कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
(2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2021 में एम.डी. (होम.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं **रु. 5.00 लाख** (कुल पाँच लाख मात्र) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा।
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।
(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में राज्य होम्योपैथी परिषद मध्यप्रदेश भोपाल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1 हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....
दिनांक.....

गवाह :- 2 हस्ताक्षर.....
नाम..... पता.....
दिनांक.....

मैं
निवासी
वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

प्रतिभूतिकर्ता

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :- 1 हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....
दिनांक.....

गवाह :- 2 हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....
दिनांक.....

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुष परिसर, कलियासोत डेम के किनारे, एम.ए.सी.टी.हिल्स, भोपाल

क्रमांक/कालेज/पी.जी.शुल्क/21-22/333-39 भोपाल,दिनांक: 18.1.2022

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के राजपत्र दिनांक 26.11.2021 में प्रकाशित प्रवेश नियम क्रमांक/एफ-1-68/2021/1/59/एम.डी. एवं स्वशासी कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिये स्नातकोत्तर (एम.डी.होम) पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार शुल्क का निर्धारित की गई है :-

क्र०	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	शिक्षण शुल्क	45,000-00	45,000-00	45,000-00
2.	स्टूडेंट फण्ड	5,000-00	5,000-00	5,000-00
3.	प्रवेश शुल्क प्रथमवार प्रवेश के समय	5,000-00	-	-
4.	वि०वि० अन्य प्रभार सहित	10,000-00	10,000-00	10,000-00
5.	नामांकन, पात्रता (छात्रों द्वारा वि.वि. में सीधे जमा किया जावेगा)	-	-	-
6.	भवन निर्माण/संधारण प्रथमवार प्रवेश के समय	10,000-00	-	-
7.	विकास	10,000-00	10,000-00	10,000-00
8.	शैक्षणिक भ्रमण	5,000-00	5,000-00	5,000-00
9.	अनुसंधान शोध	-	25,000-00	-
10.	आई.टी.नेट, कम्प्युटर आदि	1,000-00	1,000-00	1,000-00
	योग	91,000-00	1,01,000-00	76,000-00
	वापसी योग्य लगने वाली शुल्कें			
1.	महाविद्यालय सुरक्षा निधि रुपये 10,000-00	10,000-00	-	-
2.	महाविद्यालय सुरक्षानिधि (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु)	10,000-00	-	-
3.	छात्रावास शुल्क (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु प्रति वर्ष)	20,000-00	20,000-00	20,000-00

2/ उपरोक्त निर्धारित शुल्क स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.डी.-होम में शिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी ।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल म.प्र.

भोपाल,दिनांक:

पृ०क्रमांक/कालेज/पी.जी.शुल्क/21-22/

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव महो० मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय
2. आयुक्त महो० भोपाल संभाग भोपाल एवं मान. अध्यक्ष स्वशासी कार्यकारिणी समिति
3. आयुक्त महो. संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल
4. डॉ. अनन्तसिंह गौर, प्रभारी कालेज वेबसाइट की ओर भेजकर लेखकर है कि इस शुल्क संबंधि आदेश को कालेज की वेबसाइट www.ghmcbhopalayush.net पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
5. लेखा कक्ष/शुल्क संधारण कक्ष/स्थापना कक्ष स्थानीय महाविद्यालय भोपाल
6. नोटिस बोर्ड में प्रदर्शनार्थ-शिक्षण सत्र 2021-22 से एम.डी. होम पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संज्ञानार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप सभी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश दिनांक से 15 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा रुपये 20/-प्रतिदिवस के मान से प्रचलित बिलम्ब शुल्क सहित राशि जमा करनी होगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय